

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

: अधिसूचना :

पटना-15 दिनांक 19-1-18

संख्या-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 985 / श्री सुनील कुमार वर्मा, प्रधान
आप्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को वित्त विभाग, बिहार, पटना (दिनांक 01.02.2018
से पद रिक्त होने के प्रश्चात् प्रभावी) में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 986 / श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह, आप्त
सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, का पदस्थापन सरकारिता विभाग, बिहार, पटना में किया
जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 987 / सामान्य प्रशासन विभाग, के
अधिसूचना संख्या 15740 दिनांक 11.12.2017 के क्रमांक-03 पर अंकित श्री रविशंकर लाल,
आप्त सचिव, अधिसूचित माननीय मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार का कार्यालय विधि विभाग
का पदस्थापन रद्द किया जाता है।


संख्या-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 988 / सामान्य प्रशासन विभाग, के
अधिसूचना संख्या 15325 दिनांक 04.12.2017 के क्रमांक-04 पर अंकित श्री उमेश चौधरी,
आप्त सचिव, अधिसूचित माननीय मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार का कार्यालय विधि विभाग
का पदस्थापन रद्द किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 989 / श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, आप्त
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को कार्यहित में स्थानान्तरण करते हुए
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (बिहार भूमि न्यायाधिकरण में प्रतिनियुक्ति हेतु)
में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 990 / सामान्य प्रशासन विभाग, के
अधिसूचना संख्या 12383 दिनांक 25.09.2017 के क्रमांक-03 द्वारा श्री अजय कुमार तिवारी,
आप्त सचिव, अधिसूचित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना का स्थानान्तरण
उद्योग विभाग, बिहार, पटना में होने के पश्चात् सहकारिता विभाग द्वारा अभी तक योगदान
करने हेतु विरमित नहीं किया गया है। अतः श्री तिवारी को दिनांक 23.01.2018 से स्वतः
विरमित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0 990 / पटना-15 दिनांक 19-1-18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ प्रधान सचिव
के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ वित्त
विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / संसदीयकार्य विभाग,
बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / सभी संबंधित कोषागार
पदाधिकारी एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।